



उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

ई-मेल : sbuttarakhand@gmail.com

वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in

108/II, वसन्त विहार, देहरादून-248006

उत्तराखण्ड, (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

पत्रांक-339 / जै0वि0बो0- 33-2

दिनांक 15, अक्टूबर, 2013

कार्यालय आदेश

जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा-41 (1) में प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक जैव प्रबन्ध समिति (Biodiversity Management Committee) के गठन का प्राविधान है। जैव विविधता नियम-2004 के उप-नियम 22(6) में जैव विविधता समिति का मुख्य कार्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से लोक जैव विविधता पंजिका (People's Biodiversity Register) तैयार करना तथा उप-नियम 22(9) में राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विभिन्न जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाना है। जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा निरूपित लोक जैव विविधता पंजिका (People's Biodiversity Register) के परीक्षण, मूल्यांकन एवं उसके अपेक्षित सुधार एवं सुझाव हेतु राज्य स्तर पर विभिन्न विषयों से संबंधित तकनीकी सहायता समूह गठित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु Wild Floral Biodiversity विषय के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. श्री एच.बी. नैथानी, वैज्ञानिक (से0नि0, एफ.आर.आई., देहरादून) - अध्यक्ष।
2. श्री एस.के. सिंह, मु0व0सं0, जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, हल्द्वानी - सदस्य।
3. श्री मनोज चन्द्रन, (आई.एफ.एस) अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून - सदस्य।
4. डा0 डी.के. उप्रेती, वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक, (NBRI) लखनऊ - सदस्य।
5. डा0 जे.आर. शर्मा, वैज्ञानिक (से0नि0, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून) - सदस्य।
6. प्रो0 पी.सी. पाण्डे, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल - सदस्य।

(आर.एन. झा)

सदस्य-सचिव,

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,

देहरादून